बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 3

30 फाल्गुन, 1939 (श.)

बुधवार, तिथि ----------

21 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 27

1.	नगर विकास एवं आवास विभाग	....	....	08
2.	सामान्य प्रशासन विभाग	....	....	04
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	....	....	08
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	....	....	02
5.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	....	....	02
6.	पर्यटन विभाग	....	....	01
7.	सहकारिता विभाग	....	....	01
8.	आपदा प्रबंधन विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**27**

सड़क का पक्कीकरण

अ * 174. **श्री राजन कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के सदर प्रखंड के रामाबांध से मलूकी बिगहा की सड़क का पक्कीकरण नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पथ पर केवल ईंट सोलिंग किया गया है, जो वाहन चलने के कारण टूट चुका है, जिससे आम जनता को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पथ महादलित टोलों को भी जोड़ता है जो मात्र 1.5 कि.मी. है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पथ को तत्काल मरम्मती के साथ-साथ पक्कीकरण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिथिगृह का निर्माण

अ ***185. **श्री संजीव कुमार सिंह : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिले में मात्र एक ही जिला अतिथिगृह है जिसके कारण कमरों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से अतिथियों का आरक्षण अनिश्चित रहता है, जबकि अन्य जिले में इस हेतु अतिरिक्त भवन भी निर्मित किये गये हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार भागलपुर जिले में एक अतिरिक्त जिला अतिथिगृह का निर्माण कबतक कराना चाहती है ?

अ - दिनांक- 12 मार्च, 2018 ई. से स्थगित

भवन निर्माण पर रोक

ब ***216. **श्री मनोज यादव : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्तमान जिला बांका के मौजा सोनडीहा, थाना 118, थाना व अंचल बाराहाट, खाता संख्या-179, खेसरा नं.-3337, कुल रकबा 0.09 एकड़ जमीन गैर मजरूआ थी;

(ख) क्या यह सही है कि स्व. जवाहर प्रसाद सिंह, पिता स्व. भोला प्रसाद सिंह, निवासी बांका के नाम से मौजा ओराबाडी में खाता संख्या-265, खेसरा संख्या-1785 के अंतर्गत 2.25 एकड़ जमीन थी तथा मौजा महुआ टोल कनोलिया में भी तीन एकड़ से अधिक जमीन थी जिसका जमाबंदी नं.-394 एवं 17 है, जो अंचल कार्यालय बाराहाट में दर्ज है;

(ग) क्या यह सही है कि खंड 'ख' में दर्शायी गयी अचल सम्पत्ति (जमीन) रहने के बावजूद खंड 'क' की जमीन को प्राप्त करने हेतु बंदोबस्तीधारी ने अपने आपको भूमिहीन बताकर तथा अंचलाधिकारी, बाराहाट के कर्मचारी की मिलीभगत से खंड 'क' में वर्णित जमीन को बंदोबस्तीधारी के नाम से कर दिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित जमीन पर बंदोबस्तीधारी द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से आलीशान भवन का निर्माण कराया जा रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गलत ढंग से की गई बंदोबस्ती को रद्द करना तथा उक्त जमीन पर बन रहे आलीशान भवन के निर्माण पर यथाशीघ्र रोक लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

वासगीत का पर्चा

ब ***218. **श्री सोनेलाल मेहता : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि खगड़िया जिले के खगड़िया प्रखंड अंतर्गत 1978 में गंगा कटाव के कारण रहीमपुर सोनवर्षा टोला के 204 (दो सौ चार) परिवार विस्थापित हुए थे;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित विस्थापित परिवारों को सरकार ने खगड़िया प्रखंड के मथुरापुर पंचायत मौजा में अर्जित भूमि पर बसाया था;

ब - दिनांक-14 मार्च, 2018 ई. से स्थगित

(ग) क्या यह सही है कि अर्जित भूमि पर बसाये गये परिवार को अबतक सरकार द्वारा वासगीत का पर्चा 39 वर्षों बाद भी नहीं दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बसे हुए परिवार को वासगीत का पर्चा देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

चिह्नित भूमि का वितरण

ब ***220. **श्री सी. पी. सिन्हा : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना प्रमंडल के छः जिलों में रोहतास महादलितों के लिए चिह्नित भूमि के निष्पादन में सबसे पीछे है;

(ख) क्या यह सही है कि रोहतास जिले में दो चरणों में महादलितों को भूमि वितरित तो की गई, लेकिन अभी तक 308 लाभार्थी भूमि लेने से वंचित हैं;

(ग) क्या यह सही है कि रोहतास में अधिशेष भूमि सबसे अधिक 3968 एकड़ है, इसमें मात्र 84 एकड़ ही लाभार्थियों को वितरित की गई जो मात्र 2 प्रतिशत है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला में महादलितों के लिए चिह्नित भूमि के निष्पादन में तेजी लाने एवं लक्ष्य पूर्ण करने का विचार करती है, यदि हां तो क्या यह चालू वित्तीय वर्ष में संभव है, नहीं तो क्यों ?

गृह जिला में पदस्थापन

ब ***223. **डा. सूरजनंदन प्रसाद : क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या-434, दिनांक-1.3.2007 एवं पत्रांक-881, दिनांक-3.6.2009 के प्रावधानानुसार राज्य के अधिकांश सरकारी सेवकों (जिला संवर्ग एवं संलग्न कार्यालयों के पदों को छोड़कर) का उनकी सेवानिवृत्ति के वर्ष को छोड़कर, उनके गृह जिला में पदस्थापन नहीं हो सकता है;

ब - दिनांक-14 मार्च, 2018 ई. से स्थगित

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रावधान के आलोक में जिन सरकारी सेवकों का गृह जिला पटना है, उनका पदस्थापन राज्य के राजधानी क्षेत्र में पूरे सेवाकाल में (सेवानिवृत्ति वर्ष को छोड़कर) नहीं हो सकता है;

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्थिति उन सरकारी सेवकों के साथ भेदभावपूर्ण है, जिनका गृह जिला पटना है;

(घ) क्या यह सही है कि कतिपय विभागों यथा कृषि विभाग के संकल्प संख्या-11721, दिनांक-18.10.93 की कंडिका-3 (ii) द्वारा कृषि विभाग के कर्मियों के संबंध में प्रावधान है कि पटना शहरी क्षेत्र के कार्यालयों को गृह जिला संबंधी प्रावधान से मुक्त रखा गया है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रावधानों को संशोधित करते हुए राज्य के राजधानी क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों में अन्य जिलों के साथ पटना जिला के सरकारी सेवकों के पदस्थापन का प्रावधान करने का विचार रखती है, ताकि भेदभाव को दूर किया जा सके ?

शिक्षण संस्थानों की घेराबंदी

***** 338. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सरकारी भूमि पर अवस्थित एवं संचालित शिक्षण संस्थानों की घेराबंदी नहीं किये जाने से सदैव अतिक्रमण की आशंका बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे संस्थानों की भूमि बहुत सारी जगहों पर अतिक्रमित भी है जिसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को दिये जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे सभी शिक्षण संस्थानों की घेराबंदी कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

सभी वार्डों में वार्ड कार्यालय

***** 339. **श्री रामचन्द्र भारती**, **श्री नीरज कुमार** एवं **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के सभी वार्डों में एक-एक वार्ड कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव निगम की बैठक में पारित किया गया जिसमें नागरिकों के लिए सभी सुविधाओं की भी व्यवस्था की जानी थी;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग की उदासीनता की वजह से यह योजना संचिका में ही सिमट कर रह गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र पटना नगर निगम के सभी वार्डों में वार्ड कार्यालय खोलकर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

उत्तर - (क) स्वीकारात्मक है।

(ख) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में पटना स्मार्ट सिटी के तहत सभी 75 वार्डों में जन सुविधा केन्द्र का निर्माण करना है, निर्माण करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ग) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

सात निश्चय योजना

***** 340. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दानापुर नगर परिषद के अन्तर्गत 40 वार्डों में से किसी भी वार्ड में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अन्तर्गत एक भी कार्य नहीं हो पाया है;

(ख) क्या यह सही है कि लगभग एक वर्ष पूर्व ही कई वार्डों के कार्यों के लिए निविदा भी प्रकाशित की गई, निधि का आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर द्वारा कार्य नहीं कराया जा सका है;

(ग) क्या यह सही है कि दानापुर नगर परिषद् के वार्ड नं.-27,25,23 में गली, नाला का निर्माण एल.ई.डी. लाइट लगाने का कार्य लंबित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बताए कि दानापुर नगर परिषद के वार्डों में कौन-कौन कार्य मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनान्तर्गत कराये गये हैं, कितने लंबित हैं, उक्त लंबित योजनाओं एवं कार्यों को कब तक पूरा कराने का विचार रखती है और अबतक कार्य नहीं कराये जाने के प्रति जिम्मेदार पदाधिकारियों पर क्या कोई कार्रवाई करना चाहती है ?

जमीन का दाखिल-खारिज

***** 341. **श्री तनवीर अख्तर** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मो. ममनुन अख्तर, पिता-स्व. लईक अख्तर, काजी मोहल्ला-शेरघाटी, वार्ड संख्या-19 ने अपने पूर्वजों की जमीन, जो शेरघाटी नगर पंचायत के अन्तर्गत वार्ड संख्या-19, थाना नं.-762, खाता नं.-271, प्लॉट नं.-2444, एराजी (17 डी.) है, के संदर्भ में नापी कराकर दाखिल-खारिज करने का आवेदन अंचलाधिकारी, शेरघाटी को दिया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जमीन की नापी तो अंचलाधिकारी द्वारा करायी गयी परन्तु अभी तक दाखिल-खारिज नहीं कराया गया है, जबकि नापी प्रतिवेदन भी अमीन द्वारा समर्पित कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी द्वारा अभी तक दाखिल-खारिज की प्रक्रिया नहीं की जा रही है जबकि दाखिल-खारिज के संबंध में सरकार का स्पष्ट दिशा निदेश है कि यथा निर्धारित समय के अंदर दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरा कर लेना है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित जमीन का दाखिल-खारिज करना चाहती है तथा अनावश्यक विलम्ब करने वाले अंचलाधिकारी को अविलंब निलंबित करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

किसानों को वाजिब मूल्य

* 342. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के किसानों को प्रतिवर्ष धान मूल्य के भुगतान में विलम्ब होता है जिससे बिचौलिए सक्रिय हो जाते हैं और किसानों को घाटा सहना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य में अधिक धान की उपज हुई है, लेकिन विभागीय उदासीनता से किसानों को धान बिचौलियों के माध्यम से बेचना पड़ रहा है और किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि धान मूल्य के भुगतान एवं किसानों के धान विक्रय के सहज उपायों एवं वाजिब मूल्यों के लिए कौन-सा कदम उठाने पर विचार करने जा रही है, यदि नहीं तो क्यों ?

समिति की अनुशंसा समर्पित

* 343. **प्रो. संजय कुमार सिंह** एवं **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों की सेवा नियमितीकरण के लिए 2015 में ही उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त समिति को 3 महीने के अन्दर ही सेवा का नियमितीकरण करने के संबंध में रिपोर्ट सौंपना था;

(ग) क्या यह सही है कि तीन वर्ष बीतने के बावजूद समिति द्वारा आज तक अनुशंसा समर्पित नहीं की गई, जिससे संविदा कर्मचारियों/पदाधिकारियों में आक्रोश है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार संविदा कर्मचारियों/पदाधिकारियों की सेवा का नियमितीकरण करने हेतु समिति को अनुशंसा समर्पित करने का निदेश देना चाहती है ?

रोपवे लगाने का कार्य

***** 344. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि स्वदेश योजना के तहत बिहार धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पांच सौ करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिले के उंगेश्वरी मंदिर पर रोपवे लगाने के लिए आठ करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कराने की योजना है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर पर रोपवे लगाने के लिए वन विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करने की प्रक्रिया विचाराधीन है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मंदिर पर रोपवे लगाने के लिए शीघ्र कार्य प्रारंभ करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

फसल बीमा की राशि

***** 345. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि प्रतिकूल मौसम के कारण तथा अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओला, सूखा (तापमान) एवं आर्द्रता आदि से फसलों की क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध करायी जाती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि वर्ष 2017-18 में राज्य में कितने किसानों ने बीमा (फसल क्षति के लिए) करायी थी, कितने किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति बीमा के माध्यम से दी गयी है और शेष कितने कृषकों को अभी तक फसलों की क्षति के लिए बीमा राशि देनी है ?

सरकारी चावल का गबन

***** 346. **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत मे. आकाश राइस मिल को धान के बदले चावल तैयार कर नहीं देने तथा 6.5 करोड़ रुपये सरकारी राशि का गबन करने के कारण जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, हाजीपुर द्वारा हाजीपुर औद्योगिक थाना कांड सं.-43/2015 दर्ज कराया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि आकाश राइस मिल में दो डायरेक्टर में जिला प्रबंधक द्वारा किये गये एफ.आई.आर. के एक डायरेक्टर का नाम दिया गया तथा दूसरे का नाम जान-बूझकर छोड़ दिया गया;

(ग) क्या यह सही है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इनके जैसे सरकारी चावल का गबन करने वाले मिलरों से बकाया की शीघ्र वसूली, बैंक गारंटी 28.3.2017 तक भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसका अनुपालन अभी तक नहीं हो सका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त राइस मिल के बचे हुए डायरेक्टर पर मुकदमा दर्ज करते हुए गबन की गई सरकारी चावल की राशि को जमा कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

नलकूप की स्थिति जर्जर

***** 347. **डा. सूरज नंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत कुम्हरार विधान सभा क्षेत्र के पटना नगर निगम के वार्ड नं.-55 में माध्यमिक विद्यालय, कुम्हरार के नजदीक एक सरकारी नलकूप (बोरिंग) है, जिसकी स्थिति काफी जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि इससे कुम्हरार, धनकी, बिस्कोमान कॉलोनी, नया टोला, घेरा, तालाब तक पुरानी बाईपास सड़क एवं नई बाईपास के बीच की आबादी के लिए यही एक मात्र बोरिंग है जिससे पानी की आपूर्ति की जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि इस नलकूप से भारी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जाती है, परन्तु इस नलकूप की स्थिति काफी जर्जर है, जिससे वहां के निवासियों के बीच पानी की काफी किल्लत रहती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों के निवासियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए एक नया नलकूप लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नमामि गंगे योजना

*348. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गंगा को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने की महत्वाकांक्षी योजना 'नमामि गंगे' के तहत बड़ी संख्या में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण किया जाना है;

(ख) क्या यह सही है कि 'नमामि गंगे योजना' के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और अन्य योजनाओं की प्रगति बिहार में बेहद धीमी है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार में सीवरेज से गंगा नदी में हर साल एक लाख मैट्रिक लीटर से ज्यादा गंदा पानी बहाया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण सहित गंगा को साफ रखने की योजना पर गंभीरता से विचार करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त

* 349. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड अंतर्गत साईंचक, महावीर नगर (बेउर) के मुख्य सड़क से करीब एक कि.मी. आगे बढ़ने पर बायीं ओर डाक्टर साहब (डा. प्रमोद कुमार) के क्लिनिक वाली सड़क के लिए 20 फीट नक्शा में छोड़ गया था, लेकिन कुछ लोगों ने सड़क का अतिक्रमण कर मकान बना लिया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 15 दिन के अंदर उक्त सड़क से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

अन्तर जिला में स्थानांतरण

***** 350. **श्री देवेश चन्द्र ठाकुर** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2012 तक राजस्व कर्मचारियों का अंतर जिला स्थानान्तरण किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि राजस्व कर्मचारियों का अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु नियमावली नहीं रहने के कारण राज्यस्तरीय स्थानान्तरण में भारी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अन्तर जिला स्थानान्तरण नियमावली की प्रत्याशा में राजस्व कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

उर्दू परामर्शदातृ समिति को अधिकार

*****351. **श्री सलमान रागीब** : क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार की दूसरी सरकारी भाषा उर्दू के प्रचार एवं प्रसार के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने पत्रांक-659/21, दिनांक-10 मई, 1983 के संकल्प द्वारा उर्दू परामर्शदातृ समिति, बिहार की स्थापना की परंतु 33 वर्ष की लम्बी अवधि के गुजर जाने के बाद भी समिति को अबतक संवैधानिक अधिकार नहीं दिए गए हैं जिसके कारण समिति सुचारु रूप से अपना दायित्व निभाने में अक्षम है, उर्दू परामर्शदातृ समिति को सार्थक एवं उपयोगी बनाने हेतु इसे संवैधानिक अधिकार दिया जाना आवश्यक है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उर्दू परामर्शदातृ समिति को द्वितीय सरकारी भाषा उर्दू के सर्वांगीण विकास के आलोक में संवैधानिक अधिकार देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

सरकारी राहत

*352. **श्री सुनील कुमार सिंह** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत सदर थाना के सौरा नदी की तेज धारा की चपेट में आकर दिनांक- 28 अगस्त, 2014 को सोनू कुमार, पिता-बैद्यनाथ सिंह की मृत्यु डूबने के कारण हो गयी;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2014 में सोनू कुमार की मौत को लेकर पूर्णिया सदर थाना में केस संख्या-105/14, दिनांक- 3 सितम्बर, 2014 दर्ज किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के बावजूद बाढ़ हादसा में डूबकर मृत सोनू कुमार, पिता-बैद्यनाथ सिंह, ग्राम-गंडौल, अंचल-महिषी, जिला-सहरसा के परिजनों को अब तक कोई सरकारी राहत, अनुदान राशि का लाभ नहीं मिला है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृतक सोनू के परिजनों को सरकारी राहत या अनुदान राशि देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

गांधी मैदान का सौन्दर्यीकरण

*353. **श्री संजय प्रकाश** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि एक वर्ष पूर्व ही गांधी मैदान के सौन्दर्यीकरण की योजना बनी थी और इसके लिए साढ़े तीन करोड़ की राशि भी आवंटित कर दी गयी थी;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार गांधी मैदान में शौचालय, जिम, योग स्थल, फूड कोर्ट, चिल्ड्रेन पार्क एवं सौन्दर्यीकरण कबतक करना चाहती है ?

रेरा रजिस्ट्रेशन

*354. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि घर का सपना दिखाकर ठगने वाले बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए केन्द्र सरकार ने रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी (रेरा) की शुरुआत की, जिसमें सभी बिल्डरों को रेरा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है;

(ख) क्या यह सही है कि बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के कोई भी बिल्डर नए प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार या बिक्री नहीं कर सकता है;

(ग) क्या यह सही है कि पटना के 1200 बिल्डर, 5000 प्रोजेक्ट बेचने में जुटे हुए हैं, लेकिन रेरा में केवल एक ही रजिस्ट्रेशन हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के प्रचार-प्रसार और बिक्री करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

ए.सी.पी. का लाभ

*355. **श्री हीरा प्रसाद बिन्द** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के ज्ञापांक-1790, दिनांक-15.9.2016 के द्वारा कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को वेतनमान (वेतन+ग्रेड वेतन) में प्रथम/द्वितीय/तृतीय एम.ए.सी.पी. की स्वीकृति दी गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृति के क्रम में 38 कर्मियों में कर्मचारी एवं पदाधिकारी की देय सूची में क्रमांक-31 के श्री भरत कुमार, मा. सदस्य के निजी सहायक, सम्प्रति आप्त सचिव एवं क्रमांक-33 के श्री बिनोद कुमार, मा. अध्यक्ष के निजी सहायक, सम्प्रति आप्त सचिव को ए.सी.पी. के लिए वेतन निर्धारण किया गया तथा उन्हें बकाया सहित की राशि दे दी गई है, किन्तु अन्य कर्मियों एवं पदाधिकारी का न तो ए.सी.पी. वेतन निर्धारित किया गया है और न ही उन्हें इस मद में कोई राशि दी गई है, जिससे वंचित कर्मियों में भारी असंतोष व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार लोक सेवा आयोग पटना के कार्यालय आदेश सं.-204, दिनांक-15.9.2016 के द्वारा निर्गत सूची में अंकित वंचित कर्मियों को ए.सी.पी. का लाभ देने एवं अन्य कर्मियों को अभी तक ए.सी.पी. का लाभ नहीं देने वाले पदाधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

दोषी अधिकारी पर कार्रवाई

***** 356. **डा. दिलीप कुमार जायसवाल** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के अंचल अधिकारी का कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है;

(ख) क्या यह सही है कि साबिर नाम के व्यक्ति के पास विगत 47 वर्ष से उनके पूर्वज एवं वर्तमान में दो वर्ष से पिता के द्वारा दी गई जमीन है, जिसका दाखिल-खारिज और रसीद कटाने के लिए वे दो वर्ष से चक्कर काट रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि साबिर की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारी की उपस्थिति में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा सुनवाई के उपरांत आदेश पारित करते हुए पीड़ित को लगान रसीद दिलाई गई;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी अंचल अधिकारी एवं कर्मचारी पर कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सड़क जर्जरावस्था में

***** 357. **श्री राज किशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर स्थित बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, भूतनाथ रोड स्थित पानी टंकी के ठीक पश्चिम नाला पार होते हुए सड़क जो वर्नाकुलर हाई स्कूल, अपराजिता अपार्टमेंट होते हुए संत जोसेफ बालिका उच्च विद्यालय तक जाती है, काफी जर्जरावस्था में पड़ी हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में पढ़ने हेतु आने वाले छोटे-छोटे छात्र-छात्राओं के साथ-साथ स्थानीय लोगों को उक्त जर्जरावस्था में पड़ी सड़क पर आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताना चाहती है कि खंड 'क' पर अंकित सड़क किस परिस्थिति में जर्जरावस्था में पड़ी हुई है तथा इसे कबतक पी.सी.सी., सड़क निर्माण करेगी ?

ससमय मानेदय भुगतान

***** 358. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूरे राज्य में लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अल्प मानदेय पर नियोजित कर्मियों आई.टी., प्रबंधकों, आई.टी. सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों को मानदेय का भुगतान चार-पांच महीनों से नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कर्मियों को पूर्व से अबतक कभी भी समय से भुगतान नहीं किया जाता है जिसके कारण अल्पवेतन भोगी कर्मियों को काफी कठिन दौर से गुजरना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन कर्मियों को ससमय मानदेय का भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पटना
दिनांक 21 मार्च, 2018 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्